कार्यालय जिला दण्डाधिकारी जिला रीवा (म0प्र0)

:आ दे श:

रीवा दिनांक 21 अक्टूबर 2018

क्रमांक 834/रीडर डी.एम./2018: भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधान सभा आम निर्वाचन 2018 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। घोषित कार्यक्रमानुसार रीवा जिले की 08 विधान सभा क्षेत्रों में दिनांक 28.11.2018 को मतदान सम्पन्न होना है।

2. विधान सभा निर्वाचन 2018 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। विधान सभा निर्वाचन 2018 स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक 317/2008/जेएस-11 दिनांक 07 अक्टूबर 2008 के द्वारा प्रचार प्रसार हेतु जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नियमानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते है:-

1. किसी प्रकार के अनाधिकृत कट-आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानो पर विज्ञापनो के होर्डिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है। यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियो एवं बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है जिनमें मासिक एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाता है। दिन प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनो पर सामान्यतः संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नही ली जाती है। विधान सभा निर्वाचन 2018 के दौरान ऐसे सभी बैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानो पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनो के प्रदर्शनो के लिये निगम से पूर्व अनुमति/अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
3. विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलो में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से संबंधित प्रचार प्रसार हेतु आरक्षित रखे जावेगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति हेतु मुक्त रहेगे। इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जावेगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नही होते है तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलो को प्राथमिकता दी जावेगी। इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जावेगा, कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पावे। विज्ञापन एजेसी अभ्यर्थी/राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन हेतु संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जावेगी।
4. संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा यह अनुमतियां 2 चरण में जारी की जावेगी। प्रथण चरण वर्तमान से निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियो को चुनाव चिन्ह आवंटन होने तक रहेगा तथा दूसरा चरण निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियो को चुनाव चिन्ह आवंटन से होकर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व तक रहेगा। प्रथम चरण में राजनीतिक दलो तथा द्वितीय चरण में निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियो को यह अनुमति प्रदान की जावेगी। कोई भी अनुमति एक बार में सात दिवस से अधिक की नही दी जावेगी।
5. संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्राधिकार के समस्त वैध विज्ञापन स्थानो पर राजनैतिक विज्ञापन/चुनाव संबंधी विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिये व्यक्ति, संस्थाओ, उम्मीदवारो

कृ0प0उ0

दलो द्वारा सर्व प्रथम संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित स्थानीय निकाय को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ प्रचार/विज्ञापन वोर्ड पर लिखी जाने वाली भाषा/मेटर भी बताना होगा, जिसके आधार पर संबंधित स्थानीय निकायो द्वारा विहित शर्तो के अनुमति/अनापत्ति पत्र जारी किया जावेगा।

6. संबंधित स्थानीय निकाय की अनुमति/अनापत्ति पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर विभिन्न विज्ञापन एजेंसिया अपनी निर्धारित शर्ते/शुल्क प्राप्त कर आवेदित व्यक्ति, संस्था, उम्मीदवार दल के हित में वैध स्थानो पर विहित शर्तो के अनुरूप राजनैतिक विज्ञापन प्रदर्शित कर सकेगा।
7. संबंधित स्थानीय निकाय अपनी अधिकृत विज्ञापन एजेंन्सियो से सलाह उपरान्त विभिन्न स्थानो पर अभ्यर्थियो/राजनैतिक दलो द्वारा प्रदर्शित होने वाले विज्ञापनो के लिये निर्वाचन अवधि हेतु विज्ञापन की मानक दरो का निर्धारण करेगे एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को प्रेषित करेगे ताकि उक्त पर किया गया व्यय अभ्यर्थियो के निर्वाचन व्यय की गणना में सम्मिलित किया जा सके।
8. संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा अनुमति/अनापत्ति प्रदान करते समय अभ्यर्थी/राजनैतिक दल से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई शुल्क प्राप्त नही किया जावेगा। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह अनुमति/अनापत्ति पूर्व से स्वीकृत सूचीबद्ध स्थानो के लिये ही दी जा सकेगी।
9. राजनैतिक विज्ञापन हेतु अनुमतियां निर्वाचन अवधि में जारी की जा सकेगी।
10. विज्ञापन एजेंसी अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलो से तदनुसार संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से ही राशि वसूल कर सकेगें।

3. यह आदेश सम्पूर्ण रीवा जिले के राजस्व सीमा क्षेत्र में लागू होगा। नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर परिषद क्षेत्र में संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तदनुसार व्यवस्था कर अवगत करावेगे। संबंधित स्थानीय निकाय के लिये निर्धारित नीति के अनुरूप ही राजनैतिक दलो/उम्मीदवारो की विज्ञापन स–शुल्क अनुमतियां दी जा सकेगी।

4. नगर निगम/ग्रामीण क्षेत्रो में शासकीय सार्वजनिक सामुदायिक भवन/सम्पत्ति एवं भूमि पर किसी भी प्रकार का राजनैतिक विज्ञापन/प्रचार प्रतिबंधित रहेगा।

5. निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थी निजी भवनो पर भवन स्वामी की लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही झण्डे, बैनर, अस्थाई फ्लेक्स बोर्ड भवन स्वामी की दीवार पर लगा सकेगे, इसके लिये आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी को संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति प्राप्त करें तथा संलग्न प्रोफार्मा में जानकारी निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करे।

6. उक्त झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स बोर्ड पर ऐसा कुछ भी नही लिखा जावे जिससे कि विभिन्न समुदायो में असंतोष उत्पन्न होकर लोक न्यूसेंस की सम्भावना उत्पन्न हो।

कृ0प0उ0

7. संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ऐसे उपलब्ध स्थलो की सूची का विज्ञापन कर आवेदन आमंत्रित किये जावेगे। यदि किसी एक स्थल हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते है तो आवंटन हेतु लाटरी निकालकर आवंटन किया जावेगा।

8. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि अनुमति दी जाने में किसी एक व्यक्ति दल का एकाधिकार न हो एवं समस्त राजैनिक दलों एवं व्यक्तियों को अनुमति प्राप्त करने/विज्ञापन प्रदर्शन का समान अवसर मिले।

जिलादण्डाधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

पृ0क0 834 /रीडर डी0एम0/2018 रीवा दिनांक 21 अक्टूबर 2018

प्रतिलिपि,

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, रीवा सम्भाग रीवा।
4. पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज रीवा।
5. उप पुलिस महानिरीक्षक रीवा।
6. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा।
7. अपर कलेक्टर, जिला रीवा।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रीवा।
10. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला रीवा।
11. आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. नगर पुलिस अधीक्षक रीवा।
13. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) समस्त जिला रीवा।
14. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा, रायपुर कर्चु0, गंगेव, मऊगंज, नईगढी, हनुमना, त्योंथर, जवा, सिरमौर जिला रीवा।
15. मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत गुढ, मनगवां, नईगढी, मऊगंज, हनुमना, त्योंथर, डभौरा, सिरमौर, सेमरिया जिला रीवा।
16. उप संचालक जन सम्पर्क विभाग रीवा।
17. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. कलेक्ट्रेट रीवा की ओर जिला प्रशासन की वेवसाइड में अपलोड करने हेतु।
18. प्रभारी अधिकारी पुलिस कन्ट्रोल रूम रीवा।
19. थाना प्रभारी थाना ....जिला रीवा।

जिलादण्डाधिकारी
जिला रीवा (म0प्र0)

अभ्यर्थी का नाम–

अभ्यर्थी की दल सहबद्धता –

ग्राम/शहर का नाम –

क्रमांक	भवन स्वामी का नाम, जिससे विज्ञापन हेतु लिखित अनुमति प्राप्त की गई है	विज्ञापन सामग्री का विवरण (दीवार पर पोस्टर/बैनर/विज्ञापन बोर्ड का साईज (वर्गफुट में)	कांलम नं. 3 में दर्शाये वाले विज्ञापन पर आने वाला किया गया व्यय (राशि रूपये में)
1	2	3	4

हस्ताक्षर अभ्यर्थी/चुनाव एजेंट